



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052024-254068
CG-DL-E-07052024-254068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1835]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 2024/वैशाख 17, 1946

No. 1835]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 2024/VAISAKHA 17, 1946

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2024

का.आ. 1928(अ).— जबकि, केंद्र सरकार ने अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में, दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)-2021/ जोन 'डी'-2001 की क्षेत्रीय विकास योजना (जेडडीपी) में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार उक्त नोटिस की तिथि से तीस दिनों के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.06.2023 के सार्वजनिक नोटिस के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किए गए थे।

2. जबकि, निर्धारित समयावधि में भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है, इसलिए जांच एवं सुनवाई बोर्ड की बैठक अपेक्षित नहीं थी।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली मास्टर प्लान-2021/जोन- 'डी'-2001 के क्षेत्रीय विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

4. अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 /जोन 'डी'- 2001 की क्षेत्रीय विकास योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन:

ज़ोन-डी में आने वाली भूमि के निम्नलिखित क्षेत्र का भूमि उपयोग नीचे सूचीबद्ध विवरण के अनुसार बदला गया है:

स्थान	क्षेत्रफल हेक्टेयर (एकड़ में)	भूमि उपयोग (दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी - 2021 और जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना (जेडडीपी) के अनुसार)	भूमि उपयोग में बदलाव	सीमाएं
1	2	3	4	5
एनसीआरटीसी साइट, जंगपुरा, दिल्ली	13.49 हेक्टेयर (33.33 एकड़)	दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)-2021 के अनुसार आंशिक औद्योगिक (विनिर्माण, सेवा और मरम्मत उद्योग) (एम1) - 11.48 हेक्टेयर आंशिक उपयोगिता (सीवरेज शोधन संयंत्र आदि) (यू2)-2.01 हेक्टेयर जोन-डी के क्षेत्रीय विकास योजना (जेडडीपी) - 2001 के अनुसार आंशिक विनिर्माण भाग (हल्के एवं सेवा उद्योग) - 11.48 हेक्टेयर आंशिक उपयोगिता (सीवरेज शोधन संयंत्र आदि)- 2.01 हेक्टेयर	परिवहन (टी2)	उत्तर: रेलवे ट्रैक और जंगपुरा आवासीय क्षेत्र दक्षिण: रेलवे भूमि/ट्रैक पूर्व: एनसीआरटीसी भूमि और मथुरा रोड पश्चिम: रेलवे ट्रैक और जल विहार/दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय

[फा. सं. के-13011/5/2024-डीडी-I]

उपेंद्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2024

S.O. 1928(E).—Whereas, certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi (MPD)-2021/ Zonal Development Plan (ZDP) of Zone 'D'-2001, regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice dated 16.06.2023 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, no objections/ suggestions have been received within the stipulated time period, therefore the meeting of Board of Enquiry and Hearing was not required.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi -2021/ Zonal Development Plan of Zone-'D'-2001.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021/ Zonal Development Plan of Zone 'D'- 2001 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per the description listed below:

Location	Area Ha (Acres)	Land use as per MPD 2021/ ZDP of Zone 'D' 2001	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
NCRTC site, Jangpura, Delhi	13.49 Ha (33.33 acres)	As per MPD-2021-Part Industrial (Manufacturing, Service and Repair Industry) (M1) – 11.48 Ha Part Utility (Sewerage Treatment Plant etc.) (U2)-2.01 Ha As per ZDP-2001 of Zone-D, Part Manufacturing (Light and Service Industry) – 11.48 Ha Part Utility (Sewerage Treatment Plant etc.)-2.01 Ha	Transportation (T2)	North: Railway Track and Jangpura residential area South: Railway Land/Track East: NCRTC land and Mathura Road West: Railway Track and Jal Vihar/ DJB Office

[F. No. K-13011/5/2024-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.